रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032021-226118 CG-DL-E-25032021-226118

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1251] No. 1251] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 25, 2021/चैत्र 4, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 25, 2021/CHAITRA 4, 1943

मत्स्यपालन, पशपालन और डेयरी मंत्रालय

(पश्पालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021

का.आ. 1355(अ).— केंद्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 28 सितंबर, 2015 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन,डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की अधिसूचना संख्यांक, का.आ. 2655(अ), तारीख 23 सितंबर, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना की अनुसूची के प्ररूप में,पशुओं के बारे में साधारण ब्यौरे से संबंधित पैरा (III) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातु:-

"(III) पश्ओं के बारे में साधारण ब्यौरे :

- 1. अपर पैरा (II) में उल्लिखित गोजातीय पशु -
- (i) की पहचान स्थायी रूप से एक विशिष्ट पशु पहचान संख्या द्वारा की गई है;
- (ii) का जन्म निर्यातक देश में हुआ था और लगातार वहां निवास कर रहा है या किसी ऐसे देश में जन्म हुआ है जहां पशु स्वास्थ्य का स्तर निर्यातक देश के समान या उससे बेहतर है;
- (iii) पांच मास से कम गर्भिणी है:
- (iv) विद्यमान डीएनए आधारित तकनीकों का प्रयोग करके आनुवंशिक विकारों के लिए परीक्षण किया गया है **या** पशु नस्ल और प्रकार विनिर्दिष्ट ज्ञात आनुवंशिक विकारों जिसके अंतर्गत बोवाईन ल्यूकोसाईट एडहेशन डेफिशिएंसी

1834 GI/2021 (1)

सिंड्रोम, सिट्रुलीनेमिया, यूरीडीन मोनोफॉसफेट सिंथेस डेफिशिएंसी, कॉम्प्लैक्स वर्टीब्रल मालफॉर्मेशन, ब्रैकीस्पिना और फैक्टर XI डेफिशिएंसी सिंड्रोम से मुक्त की घोषणा करने वाला प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

2. निर्यातक देश पशुओं की आनुवंशिक मार्कर रिपोर्ट, यदि उपलब्ध हो,भी प्रदान करेगा।"

[फा. सं. 102-69/2007-व्यापार (इ-16218)]

गिरजा नन्द सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्प्ण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2655 (अ) तारीख 28 सितम्बर, 2015 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2021

- **S.O. 1355(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries number S.O. 2655(E), dated the 23rd September, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th September, 2015, namely:-
- 2. In the said notification, in the Schedule in the Form, for paragraph (III) relating to General details about the animal, the following shall be substituted, namely:-

"(III) General details about the animal:

- 1. The bovine animal mentioned at paragraph (II) above –
- (i) is permanently identified by a unique animal identification number;
- (ii) was born and have been continually residing in the exporting country or was born in a country having equal or better animal health status than the exporting country;
- (iii) is less than five months pregnant;
- (iv) has been tested for genetic disorders using extant DNA based techniques or has been issued a certificate declaring absence of known genetic disorders specific to the breed and type of animal, including Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency Syndrome, Citrullinaemia, Deficiency of Uridine Monophosphate Synthase, Complex Vertebral Malformation, Brachyspina and Factor XI deficiency syndrome.
- 2. The exporting country shall provide the Genetic Marker Report of the animal, if available."

[F. No. 102-69/2007-Trade (E-16218)]

GIRJA NAND SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* Number S.O. 2655(E) dated 28th September, 2015.